

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 1537/2026

The New India Assurance Company Ltd., T.p. Suit Hub, Divisional Office-Ist, Abhay Chambers, Jalori Gate, Jodhpur Through Its Authorized Representative.

-----Appellant

Versus

1. Smt. Mima Devi W/o Late Sh. Nemi Chand, R/o Village Chohta Narnadi, Tehsil Luni, District Jodhpur. Presently Residing At Kheme Ka Kua, Pal Road, Jodhpur. (Claimant)
2. Ms Ravina Patel D/o Late Sh Nemi Chand, Minor Represented Through Her Natural Guardian Mother Smt. Mima Devi, r/o Village Chohta Narnadi, Tehsil Luni, District Jodhpur. Presently Residing At Kheme Ka Kua, Pal Road, Jodhpur. (Claimant)
3. Anurag Patel S/o Late Sh Nemi Chand, Minor Represented Through His Natural Guardian Mother Smt. Mima Devi, r/o Village Chohta Narnadi, Tehsil Luni, District Jodhpur. Presently Residing At Kheme Ka Kua, Pal Road, Jodhpur. (Claimant)
4. Madu W/o Late Sh Bhakhar Ram, R/o Village Chohta Narnadi, Tehsil Luni, District Jodhpur. Presently Residing At Kheme Ka Kua, Pal Road, Jodhpur. (Claimant)
5. Fusaram S/o Sh Joraram, R/o Village Dolirajguru, Kalyanpur, District Barmer. Presently Residing At Meghwalon Ka Bas, Pal, District Jodhpur. (Driver Cum Registered Owner)
6. Gurlal Singh S/o Jaswant Singh, R/o Ward No. 3, Ramsara Narayan, Tehsil And District Hanumangarh. (Insured-Owner)

-----Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. Jagdish Chandra Vyas
For Respondent(s)	:	Mr. Dileep Singh as Caviator R.No. 1 to 4

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

05/05/2026

यह अपील मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण जोधपुर महानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक **15.01.2026** से व्यथित होकर अपीलार्थी/बीमा कम्पनी दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी की ओर से प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा प्रत्यर्थीगण/याचीगण श्रीमती मीमा देवी आदि की ओर से प्रस्तुत दुर्घटना दावा संख्या **708/2022** को स्वीकार कर याचीगण को **53,56,384/-**रूपये प्रतिकर राशि दिलवाई गई है।

दोनों पक्षों को स्थगन प्रार्थना-पत्र संख्या **1388/2026** पर सुना गया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क है कि अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से विद्वान अधिकरण द्वारा जो पंचाट पारित किया गया है, वह विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत विधिसम्मत नहीं है। उनका तर्क है कि पत्रावली पर जो साक्ष्य आई है, उसमें बीमित वाहन की दुर्घटना में संलिप्तता ही दर्शित नहीं हो रही है। साथ ही नक्शा मौका की स्थिति व साक्षीगण के कथनों से भी स्पष्ट हो रहा है कि मृतक, जो मोटरसाइकिल चला रहा था, वह बीमित वाहन के पीछे आ रहा था और अन्य वाहन से टकराया था। इस दुर्घटना में बीमित वाहन से दुर्घटना कारित होना प्रमाणित नहीं हुआ है। उनका तर्क है कि दुर्घटना के समय बीमित वाहन का परमिट भी नहीं था, जो बीमा संविदा की मूलभूत शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है और ऐसी स्थिति में बीमा कम्पनी को किसी भी रूप से क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। अतः आलौच्य निर्णय द्वारा पारित अवार्ड की क्रियान्विति को स्थगित किया जाये।

इसके विपरीत दावेदारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि पुलिस ने इस मामले में अनुसंधान के उपरांत बीमित ट्रक के चालक/अभियुक्त की दुर्घटना में गलती एवं लापरवाही मानते हुए उसके विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया है। उनका तर्क है कि जिन साक्षीगण को साक्ष्य में परीक्षित करवाया गया है, उनसे बीमा कम्पनी द्वारा बीमित वाहन की दुर्घटना में संलिप्तता होने के सम्बन्ध में कोई प्रश्न नहीं किया गया है तथा सम्पूर्ण साक्ष्य से बीमित वाहन के चालक की ही लापरवाही प्रमाणित हुई है। उनका तर्क है कि वाहन का परमिट नहीं होने की स्थिति में बीमा संविदा की

शर्तों का उल्लंघन होना यदि मान भी लिया जाये तो बीमा कम्पनी का तृतीय पक्षकार के प्रति क्षतिपूर्ति देने का दायित्व बनता है। अतः स्थगन प्रार्थना-पत्र निरस्त किया जावे।

तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

यह मामला दुर्घटना के क्रम में पारित प्रतिकर राशि से सम्बन्धित है, अतः इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी/बीमा कम्पनी को विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट राशि मय ब्याज में से दो तिहाई भाग आगामी **छः सप्ताह** की अवधि में जमा कराए जाने का निर्देश दिया जाता है।

इस आदेश की पालना में बीमा कम्पनी द्वारा आदेशित राशि जमा कराने पर जमाशुदा राशि प्रत्यर्थी/दावेदारों को इन तथ्यों की अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर अदा कर दी जाए कि यदि बीमा कम्पनी इस अपील में सफल होती है तो उस स्थिति में प्रत्यर्थी/दावेदार द्वारा इस आदेश के अधीन प्राप्त की गई राशि पुनः बीमा कम्पनी को **छः प्रतिशत (06%) वार्षिक ब्याज दर** के साथ अपील के निर्णय के एक माह की अवधि में लौटाने के लिए बाध्य व तैयार रहेंगे।

बीमा कम्पनी द्वारा निर्धारित **छः सप्ताह** की अवधि में आदेशित राशि जमा कराने में असफल रहने पर प्रत्यर्थी/दावेदार विधि अनुसार कार्यवाही करने को स्वतंत्र है।

तदनुसार स्थगन प्रार्थना-पत्र निस्तारित किया जाता है।

अपील सुनवाई हेतु ग्राह्य की जाती है। प्रत्यर्थी संख्या-1 से 4 के अधिवक्ता केवियेटर के रूप में उपस्थित है, अतः इन प्रत्यर्थीगण को औपचारिक नोटिस जारी किए जाने की आवश्यकता नहीं है। शेष प्रत्यर्थीगण संख्या-5 व 6 को अपील के नोटिस जारी हों। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी दो सप्ताह में आवश्यक पी एफ नोटिस पेश करें। विद्वान विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश की पालना में क्लेमेन्ट्स को राशि अदा किए जाने के उपरांत अभिलेख इस न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित करें।

(SHUBHA MEHTA),J